


- :: आदेश :: -

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा डेह तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 1412/1, 1814/1927, 1814/1928, 1814/1929, 1814/1930, 920 में वादीगण संख्या 1 से 2 एवं प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 मोटाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता हतथा तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 3748 दिनांक 20.09.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है, जो कि निर्णय का एक भाग रहेगा। अतः नेमन प्रकार अन्तिम डिग्री किया जाता है।

1. वादी पुरखाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेह का खेत खसरा नंबर 1412/1 रकबा 9.6720 हैक्टेयर में से 3.9038 हैक्टेयर दक्षिणी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी पदमाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेह का खेत खसरा नंबर 1412/1 रकबा 9.6720 हैक्टेयर में से 1.8644 हैक्टेयर उत्तरी भाग, खेत खसरा नंबर 1814/1927 रकबा 0.6313 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 1814/1928 रकबा 0.3399 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1814/1929 रकबा 0.5504 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1814/1930 रकबा 0.5180 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 मोटाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेह का खेत खसरा नंबर 920 रकबा 1.5216 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 2 नेनाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेह का खेत खसरा नंबर 1412/1 रकबा 9.6720 हैक्टेयर में से 3.9038 हैक्टेयर मध्य भाग नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28/9/2021 को
सूरे इजलास सुनाना किया गया।



28/9/2021
(रबीन्द्र कुमार)
सहायक कैलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल